न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 288–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–1–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, सांवेर, जिला इंदौर प्रकरण कमांक 2/अ–13/2012–13.

.....

वाहिद पिता रेहमत अली नायता
निवासी ग्राम मगरखेड़ा
तहसील सांवेर, जिला इंदौर ..... आवेदक

विरूद्ध

1– शरीफ पिता ताज मोहम्मद नायता
2– युसुफ पिता ताज मोहम्मद नायता
3– रमजू पिता धन्ना नायता
निवासीगण ग्राम मगरखेड़ा
तहसील सांवेर, जिला इंदौर ..... अनावेदकगण

.....

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अंकुश खण्डागले अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 15 मई, 2013)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की भूमि ग्राम मगरखेड़ा, तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित सर्वे

कमांक 34/2/2 एवं सर्वे कमांक 34/2/1 रकबा कमशः 0.253 हेक्टेयर एवं 0.085 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर जाने के लिए एकमात्र रूढ़िगत रास्ता सर्वे कमांक 34/2/3/2/1, एवं सर्वे कमांक 34/2/3/2/2 की पूर्वी मेड़ से होकर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर लंबवत है । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 उक्त रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे थे लेकिन बाद में उक्त भूमि को आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा कय किया जाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है । आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को नहीं करने दे रहे हैं, और मार–पीट कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट भी बाणगंगा पुलिस थाने पर की गई है । अतः प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाया जाये । अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अंतरिम रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2012–13 दर्ज किया जाकर कार्यवाही करते हुये दिनांक 9–1–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को 10 फिट का रास्ता दिया गया, और यह भी निर्देश दिये गये कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 3 प्रकरण के निराकरण तक वर्णित रास्ते में अवरोध उत्पन्न नहीं करें । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हे ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा कय किए जाने के पश्चात रास्ता अवरूद्ध किया गया है । आवेदक द्वारा भूमि दिनांक 17–8–2009 को कय की गई है, और अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 26–10–2012 को प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार यदि आवेदक द्वारा वर्ष 2009 में रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया था, तब 3 वर्ष तक अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा किस रास्ते का उपयोग किया जाता रहा, और किस प्रकार कृषि कार्य किया जाता रहा, इसका कोई उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है । इस

आधार पर कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्रश्नाधीन रास्ता आवेदक की भूमि के पूर्वी मेड़ दक्षिण से उत्तर की ओर होना दर्शाया गया है, जबकि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश के पैराग्राफ 2 में आवेदक की भूमि के पश्चिम मेड़ से दक्षिण से उत्तर की ओर दर्शाया गया है । स्पष्टतः आवेदन पत्र एवं आदेश में विरोधाभाष है, और वास्तविक रूप से परम्परागत रास्ता शासकीय कांकड़ सर्वे कमांक 33/2 से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर सर्वे कमांक 45/2/3 एवं सर्वे कमांक 45/2/4 तथा सर्वे कमांक 34/4/1 एवं 34/4/2 के मध्य मेड़ से होते हुए आगे पूर्व से पश्चिम की ओर सर्वे कमांक 45/3/1 (क) की मेड़ से होकर अनावेदकगण की खेत पर पहुंचता है, परन्तु अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा दुर्भावनावश आवेदक की खेत में से नये रास्ते की मांग की जा रही है, इस तथ्यात्मक बिन्दु पर बिना विचार किए तहसीलदार द्वारा आवेदक की खेत में से रास्ता देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) अनावेदक कमांक 1 एवं 2 अपनी भूमि पर एकमात्र परम्परागत, रूढ़िगत रास्ता जो आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 34/2/3/2/1 एवं सर्वे कमांक 34/2/3/2/2 की पूर्वी मेड़ से होकर दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है, से पहुंचते हैं । आवेदक ने उक्त दोनों सर्वे नम्बर की भूमि दो–तीन वर्ष पूर्व क्रय की है, उनकी जानकारी में भी अनावेदक कमांक 1 एवं 2 इसी रास्ते से अभी तक अपनी भूमि पर आते–जाते रहे हैं लेकिन दिनांक 24–10–2012 को अनावेदक कमांक 1 एवं 2 अपनी कृषि भूमि पर जा रहे थे, तब आवेदक ने उनका रास्ता रोका, और अनावेदकगण के साथ मार–पीट की तथा रास्ते पर से

जाने के लिए मना कर लिया, जिसकी रिपोर्ट अनावेदकगण ने तुरंत ही पुलिस थाना बाणगंगा पर दर्ज करवायी है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी से जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । पटवारी ने भी अपने प्रतिवेदन में इसी बात को स्पष्ट किया है कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 का रास्ता आवेदक की पूर्व मेड़ से ही होकर है तथा अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को अपने खेत पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है ।

(3) पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा स्वयं जाकर मौके का निरीक्षण उभयपक्षों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें तहसीलदार ने मौका निरीक्षण करते वक्त पाया कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 का रास्ता आवेदक की भूमि की पूर्वी मेड़ से ही है, और अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–1–2013 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण के निराकरण तक रास्ता खुलवाने बावद आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध आवेदक ने यह निगरानी अपर कलेक्टर अथवा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत न करते हुए अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को परेशान करने की नीयत से समवर्ती क्षेत्राधिकार होने का फायदा उठाकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है ।

(4) अंतरिम आदेश पारित करने में न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय में जब गुण–दोषों पर विचार किया जावेगा तथा उभयपक्षों का प्रमाण लिया जावेगा तब यदि अधीनस्थ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ही अंतरिम आदेश को निरस्त कर सकती है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर और उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले

जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान वैकल्पिक मार्ग होना बतलाया गया है, परन्तु वैकल्पिक मार्ग होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा नक्शा आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । इसके अतिरिक्त आवेदक का यह दायित्व था कि वह तहसील न्यायालय में वैकल्पिक रास्ता होना बतलाते, परन्तु उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया है । तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम तौर से प्रकरण के निराकरण तक रास्ता खोला गया है, और अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वह साक्ष्य से प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता नहीं होना एवं अनावेदकगण के लिए वैकल्पिक रास्ता होना प्रमाणित कर सकते हैं । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर